

20/11/22

फर्द अहकाम

छोटीराग बनाम जमादीग

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बरसी

राजस्व वाद/प्राथना पत्र/मुकदमा नम्बर : 181/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/01/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित अप्रार्थी से। लग 3 का जवाब पेश करने हेतु अनेक अवसर दिये जाने पर जवाब पेश नहीं किया। अप्रार्थी-स. 1 लग 3 का जवाब केंद्र किया जाता है। अप्रार्थी-स. प व 5 की मूलवाह में एउ तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील उभयपक्षों ने प्राथना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस हेतु निवेदन करने पर बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध पक्षतवेजी का अवलोकन करने एवं उभयपक्षों की बहस सुनने के पश्चात वादग्रस्त भराजी खसरा नं. 837, 838, 839, 840 कुल खिा 4 कुल रकबा 0.5100 हेक्टेयर स्थित ग्राम तूंगा तह. लूंगा छि. जयपुर के संबंध में उभयपक्षों के जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाकड़ किया जाता है कि वे वाकैसला वाद उम्त वादग्रस्त भूमि पर मौजूदे की यथास्थिति बनाये रखेंगे एवं काश्त के अतिरिक्त मौजूदे पर अन्य कोई परिवर्तन ना करें।</p> <p>पत्रावली फैलल खुमार दौकर मूलवाडके साथ हमफोता हो।</p> <p style="text-align: center;">(Signature)</p> <p style="text-align: center;">[Red Stamp]</p>